स्पीड पोस्ट

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोक नायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली–110003
6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003

पंत्राक - एस.एन/3/2012/एसटीजीसीजी/डीईओटीएच/आर.यू. -III Dated .....

10-10-2012

सेवा में,

श्री सुनील कुमार,
मुख्य सचिव,
छत्तीसगढ़ सरकार,
रायपुर ।

विषय - छत्तीसगढ़ के जिला जशपुर, विकासखण्ड पत्थ्ल गांव के अंतर्गत लोकेर जलाशय योजना से आदिवासियों के प्रभावित होने के संबंध में ।

महोदय,

श्री सहदेव निकुंज, अध्यक्ष, किसान महासभा, ग्राम रेड़े, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ ने आयोग को अपने अभ्यावेदन दिनांक 20-08-2012 के द्वारा आयोग के संज्ञान लाए कि लोकेर जलाशय योजना के अंतर्गत बांध परियोजना को निर्धारित जमीन को छोड़कर ग्राम-रेड़े और सराईटोला के बीच बांध बनाया जा रहा है । जलाशय योजना के अन्दर 10 ग्राम पंचायत एवं 20 से 30 गांव प्रभावित हो रहे है । तथा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के किसानों ने अपने संरक्षण तथा जमीन ग्रहण बाबत् कुछ तथ्य आयोग के समक्ष अपने अभ्यावेदन में रखे जिस पर चर्चा के लिए सचिव, सिंचाई विभाग, उपायुक्त, जिला - जशपुर को दिनांक 07-09-2012 को आयोग में तथ्यात्मक रिर्पोट सहित बुलाया गया था किन्तु उक्त तिथि को उक्त अधिकारीगण आयोग में उपस्थित नहीं हुए जिस पर माननीय अध्यक्ष द्वारा सचिव, सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग एवं कलेक्टर, जिला-जशपुर को मामले पर चर्चा हेतु दिनांक 04-10-2012 को आयोग में बुलाया गया । उक्त संदर्भ में जल संसाधन विभाग ने अपने पत्र दिनांक 20-09-2012 के द्वारा आयोग को जानकारी दी कि सचिव, सिंचाई विभाग राज्य शासन के अन्य कार्यो में व्यस्तता के चलते हुए आयोग में उपस्थित नहीं हो पा रहें है उनके बदले में उपसचिव एवं प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन उक्त बैठक में भाग लेंगें । दूसरी ओर उपसचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन अपने पत्र दिनांक 29-09-2012 द्वारा अवगत कराया कि सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग, राज्य शासन के अपरिहार्य कारणों से उक्त बैठक में उपस्थित नही हो पा रहे है । उनकी एवज में उपसचिव डॉ.अनिल चौधरी, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को नांमाकित किया गया ।

विदित हो कि राष्ट्रीय आयोग संविधान की धारा 338-क के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक सुरक्षणों एवं विकास के मुद्दों की जांच, सुरक्षा एवं पैरवी के लिए बाध्य है ।

Tel. : 011-24657271, 011-24615012, 011-24624714, Fax : 011-24604689, 011-24624191

जिला कलेक्टर, जशपुर दिनांक 04-10-2012 को आयोग में उपस्थित हुए तथा चर्चा में भाग लिया और उन्होनें आश्वासन दिया कि भूमिहीन किसानों को भूमि संबंधित संरक्षणों एवं नीतियों के अनुरूप कार्यक्रम एवं योजना बनाते हुए लाभ पहुंचाने के लिए अभ्यावेदन में उठाये गये बिन्दुओं पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा इस संबंध में वे अपना सुझाव आयोग को भेजेंगें ।

उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयोग के माननीय अध्यक्ष ने प्रकरण में अगली बैठक दिनांक **19-10-2012** को **12 बजे** आयोग के मुख्यालय मे निश्चित की है । अतः अनुरोध है कि इन अधिकारियों को आयोग में उपस्थित होने के निर्देश दें कि वे अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज लेकर बैठक में उपस्थित होवें, अन्यथा आयोग संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करते हुए इनके खिलाफ समन जारी करने को बाध्य होगा ।

(1) भूमि हस्तातंरण एवम पूनर्वास एवम पूनर्विस्थापन नीति ।
(2) जनजातीय भूमि अधिग्रहण नीति ।
(3) विस्थापित आदिवासियों के लिये राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं ।
(4) लोकेर जल योजना से प्रभावित भूमिहीन आदिवासियों का संक्षिप्त रिर्पोट ।
(5) उक्त योजना से विस्थापित भूमिमालिक एवम भूमिहीन आदिवासियों को मुआवजा/क्षतिपूर्ति की रिर्पोट ।

भवदीया,

(के.डी. बंसौर)श्रीमती
उपनिदेशक

→ 3 –

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

(1) **श्री एन.के. असवाल**, सचिव, सिंचाई विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर ।
(2) **डॉ. बी.एल. अग्रवाल**, सचिव, राजस्व विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर ।
(3) **श्री मनोज कुमार पिंगवा**, सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर ।
(4) **श्री अंकित आंनद**, जिला कलेक्टर, जशपुर, छत्तीसगढ़ ।
(5) **श्री सहदेव निकुंज**, किसान महासभा, ग्राम रेड़े, पो.-कुकुरभुका, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ ।

अनुरोध है कि दिनांक **19-10-2012** को **12 बजे** अनुसूचित बैठक में उपरोक्त लिखित दस्तावेज के साथ उपस्थित होने का कष्ट करें ।

भवदीया,
के डी० बंसौर
(के.डी. बंसौर)श्रीमती
उपनिदेशक

4580-85
10/10/12
जारी किया
ISSUED

o/c